न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

धनपत बनाम स्टेट

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 346 सन 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.10.2022	अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपनी एकपक्षीय बहस में निवेदना किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलांट को माननीय एस.डी.ओ द्वारा दिनांक 23.07.2002 को आवंटित की गयी तत्पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने आवंटन आदेश खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर में चुनौति दी गई लेकिना माननीय राजस्व मंडल ने अपीलांट की रिवीजन खारिज कर दी। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलांट की रिट सं0 31/2012 खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में स्पेशल रिट पिटिशन सं. 22781/2022 बअनवानी धनपत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपीलांट की उक्त पिटिशन बासुनवाई दर्ज कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत स्पेशल रिट पिटिशन सं. 22781/2022 बअनवानी धनपत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के संबंध में कोई विवेचन नहीं किया। रेस्पो0 बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलांट को प्रश्नगत कृषि भूमि से बेदखल करने पर कटिबद्ध है जबकि अंतिम निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का आना शेष है। मौका पर अपीलांट की फसल पक कर तैयार है यदि रेस्पो0 अपीलांट को बेदखल करते है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत APEX COURT J 2011(2) 0496 प्रस्तुत किया। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई है एवं न्यायिक दृष्टांतों 2017 (2) आरएलडब्ल्यु रेवेन्यु पेज 920, 2019 (2) सीएजे सिविल राज. पेज 963, आरआरटी 2014 पार्ट 1 पेज (409) के अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है। अधीवक्ता	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में उक्त न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अपीलांट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय में अपीलांट ने स्पेशल रिट पिटिशन सं. 22781/2022 बअनवानी धनपत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश की हुई है। प्रकरण के समस्त तथ्यों की स्थिति तो उभयपक्ष के उपस्थित आने पर अपने–अपने तथ्य प्रस्तुत करने पर ही स्पष्ट हो सकेगी। तब तक स्थगन आदेश दिया जाना उचित है। अतः आदेश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी तक रेस्पो0 अपीलांट को बिना विधिक प्रकिया अपनाये स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रश्नगत कृषि भूमि से बेदखल नहीं करें तथा मौका की यथास्थिति बनाये रखें। बहस हेतु अवसर चाहने पर स्थगन आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। यह स्थगन आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

अधिवक्ता अपीलार्थी प्रत्यर्थीपक्ष को रजिस्टर्ड एडी नोटिस एवं अपील मीमों की पर्याप्त प्रतियॉ प्रस्तुत करे तो ही फर्द अहकाम दस्ती जारी हो। तहत का रिकॉर्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 20.10.2022 को पेश हो।

6/X/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़